

भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड) Railway Board

Office Order No. 104 of 2018

Sub: Procedure for availing optional scheme of All India Leave Travel Concession (AILTC) facility for officers/staff working in Board's Office.

Subsequent to IR employees being given AILTC facility on optional basis in accordance with the CCS(LTC) Rules, 1988 as per Board's Order No. E(W) 2017/PS5-1/3 dated 10.09.2018, all officers/staff working in Board's office are also eligible to avail AILTC.

- 2. For availing the facility of AILTC, Officer/Staff working in Board's Office should have rendered four or more years of continuous service on the date of the commencement of the journey. The following guidelines may be adhered to by the applicant for availing AILTC:
 - i) Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC) may be obtained from 'G Branch by following the prescribed procedure as contained in Board's letter dated 10.09.2018. However, in the first instance before applying for PPSC, the concerned staff should check his/her eligibility for availing AILTC.
 - Leave of any type may be applied for and a declaration/advance intimation letter as per proforma enclosed at <u>Annexure-I</u> intending to avail AILTC may be submitted to the concerned Establishment Branch (ERB-I, ERB-II & ERB-V) along with original copy of PPSC issued by G Branch.
 - iii) In case, AILTC advance is required, a separate request may be submitted as per prescribed proforma enclosed at <u>Annexure-II</u> to the concerned ERB section (ERB-I, II & V) in addition to submission of self-declaration/advance intimation letter. AILTC advance is to be applied 65 days (in case of Air travel) or 125 days (in case of train travel) before the proposed date of outward journey and within ten days of the drawal of advance, the concerned employee is to produce tickets, irrespective of the date of commencement of the journey.
 - iv) LTC advance upto 90% of the estimated fare would be sanctioned.
 - v) In case, an employee performs journey without intimation and submission of original PPSC to the concerned ERB section, claim for reimbursement under AILTC would not be entertained.

- vi) Subsequent to performing the journey related to AILTC, necessary claims for reimbursement /difference of expenditure (in case of advance) may be submitted directly to respective Cash-I/II/III Sections as per enclosed proforma at <u>Annexure-III</u> for final settlement with all necessary required document.
- vii) LTC claim as per Annexure-III is to be submitted within three months of completion of return journey, if no advance has been drawn; else, within one month of completion of return journey, if advance has been drawn.
- viii) After undertaking journey, unspent amount of AILTC advance, if any, should be remitted within one month and in one lumpsum.
- ix) Travel by Premium trains/Premium Tatkal trains/Suvidha trains are allowed on LTC however, travel in such train is to be by shortest route. Reimbursement of tatkal charges or premium tatkal charges shall also be admissible for the purpose of LTC. Flexi Fare (dynamic fare) applicable in Rajdhani /Shatabdi /Duronto trains is also admissible for the journey(s) performed by these trains on LTC.
- x) Those officials entitled for Air travel are required to travel by Air India only at LTC-80 fare or less. Fare indicated at LTC-80 is the maximum permissible ceiling limit for reimbursement; however, efforts should be made to book Air tickets at the cheapest fare possible.
- xi) Those employees (i.e, Pay Level 1 to 8 of Pay Matrix as per 7th CPC) who are not entitled to travel by Air may travel by any airline; however, reimbursement in such cases shall be restricted to the fare of their entitled class of train /transport or actual expense, whichever is less. Further, dynamic fare component in respect of Rajdhani/Shatabdi/Duronto trains shall not be admissible in such cases i.e., where a non-entitled Government servant travels by air and claims reimbursement for the entitled class of Rajdhani/Shatabdi/Duronto trains.
- xii) In all cases, Air ticket is required to be booked either directly through the airlines (Booking Counters, website of airlines) or by utilizing the service of Authorized Travel Agents viz M/S Balmer Lawrie & Company, M/s Ashok Travels & Tours, and IRCTC (to the extent IRCTC is authorized as per DOP&Ts OM No. 31011/6/2002-Estt(A) dated 2.12.2009) while undertaking LTC journey. Booking of tickets through other agencies is not permitted and no request for relaxation of rules for booking the tickets through any other agencies shall be considered by Board's office.
- xiii) It may also be noted that Travel on Tour packages is not allowed, except in case of tours conducted by Indian Tourism Development Corporation (ITDC), State Tourism Development Corporation(STDC) and IRCTC. In such cases, only the fare component shall be reimbursable provided ITDC/STDC/IRCTC separately indicate the fare component and certify that the journey was actually performed by the Government servant and his family members for which he/she is claiming the All India Leave Travel Concession.

- xiv) All tickets purchased should be submitted in original alongwith boarding passes duly stamped by Airport authorities (in case of Air travel) at the time of submitting claims after performing journey.
- xv) In respect of special relaxation relating to travel by Air (for those who are not entitled for Air travel under AILTC) on LTC to North East Region, Jammu & Kashmir and Andaman & Nicobar, DOP&T's OM No. 31011/3/2018-Estt(A-IV) dated 20.09,2018 may be referred to.
- 3. Role of G-Branch, ERB-I, II, V, Cash-I, II & III sections and PAO/Office/RB would be as under:
 - a) General Branch will issue the Privilege Pass Surrender Certificate (PPSC) for AILTC purpose within 10 days of receiving the request from Applicant as per the instructions contained in E(W)'s above mentioned letter.
 - b) After receiving the request for optional AILTC as per Annexure-I & II, respective Establishment Branches (ERB-I, ERB-II & ERB-V) would verify/certify the necessary columns in it along with checking the admissibility as to whether the concerned employee is eligible for AILTC as per extant policy instruction and forward it to concerned Cash Section in case LTC advance has been sought.
 - c) An acknowledgement to the concerned employee may also be made and a copy of guidelines for perusal of employee may be given so as to ensure that the concerned employee is fully aware of the extant rules to be followed while availing optional AILTC and that there is no issue with regard to clearing of AILTC claim. In case AILTC is not admissible for the concerned employee, the same be advised in writing to the employee within three working days of the receipt of the intimation. A copy be also endorsed to the concerned Cash Section for information and record.
 - d) Concerned Cash section would process the case for LTC advance and reimbursement/claim as per extant rule for AILTC issued by Board's Office like normal reimbursement of TA/DA, Children Education Allowance(CEA) claim without referring it to Associate Finance. However, if any clarification is required on the extant rules, the nodal branch may be consulted. In respect of AILTC advance/clearing of claim, concerned Cash section are to sanction the amount based on concerned employee's eligibility for travel in AILTC, fares of shortest route by train and as per fare available under LTC-80 in respect of Air ticket.
 - e) After clearing of LTC claim, the concerned Cash Section would maintain the details of such claim separately as per CCS(LTC)Rule for maintaining register of LTC claim. Proforma is at <u>Annexure-IV</u>.
 - f) ERB-II, V and PAO Sections would also be required to make an entry in the service book of concerned employee claiming LTC along with an undertaking of completion of four or more years of service in this regard.

- g) ERB-I, II, V, Cash-I, II, III & PAO sections may also go through the instructions issued on AILTC/LTC by E(W) branch & DOP&T before processing the request related to AILTC.
- 4. All concerned may note that any misuse of AILTC will be viewed seriously and the concerned official would be liable for appropriate action under the relevant rules. Cash section may also randomly get some of the air tickets verified from the airlines concerned with regard to the actual cost of air travel vis-à-vis the cost indicated on the air tickets submitted by the officials.
- 5. The above issues with the approval of competent authority.

Encl: Annexure- I to IV

No. 2018/O&M/2/15

Dated: 26/09/2018

(H. Moharana)

Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office, Metro Bhawan and at Dayabasti.

JS(G)

DE/W, Dir/GA Dir/A,

ERB-I, II, V, Cash-I, II, III & PAO/RB

<u>Proforma for self-certification/Declaration by the Railway Employees</u> <u>intending to avail AILTC</u>

I Shri./Smt./Km	***********	(Name of the Railway
servant) wish to confirm that I am availing		
member(s) for the block year	to visit	(Place of visit)
during (dates of j		
whom I wish to avail AILTC has/have not a	vailed of t	he same during the present block year.
-		pendent on me, in respect of whom the all
India Leave Travel Concession is being claim		
SI.No. Name(s)	Age	Relationship with the Govt.
		Servant
i	,	
ii		
iii		
iv		
3. I am enclosing original copy of PPSC	issued on	to me by PIA.
3.1 A copy of my leave application is also	enclosed	
4. It is certified that the above facts are	true and	any false statement shall make me liable
for appropriate action under Rule 16 of CC rules as applicable to Railway servant.	S(LTC) F	Rules, 1988 and the relevant disciplinary
	Sig	nature of Railway Servant
	Na	me:
	Des	signation/Branch :
	RU.	ID No & Employee No :
•	Mol	bile No. :

Signature with date of SO/Branch Officer/Incharge

ERB-I/II/V

*N.B.: Railway employee may share interesting insights and pictures, if any, of the destination visited while availing AILTC on an appropriate forum.

Application form for grant of AILTC advance

(To be submitted to concerned ERB Section)

1.	Name	of the Railway servant:	
2.	Design	nation:	
3.	Emplo	yee Number:	
4.	Date o	f Joining in Railway Service	√Railway Board:
5.	Presen	t pay & Pay Level;	
6.	Wheth	er permanent or temporary:	
7.	Wheth	er original copy of PPSC sul	omitted along with Intimation:
8.	Wheth	er spouse is employed and if	so whether entitled to LTC:
9.	a) The	concession is to "visit anyw	here in India", the place to be visited:
	b) Bloc	k for which to be availed:	
10.	Single l	Rail fare/Bus fare/Air fare fi	om the headquarters to place of visit by shortest route
11,		o and fro): s in respect of whom AILTC	is proposed to be availed.
	S.No.	Name and Age	Relationship
	i) ii)		
	iii)		
	iv)		
12.	Amount	t of advance required Rs	······································
	I declar	e that the particulars furni	ished above are true and correct to the best of my
	knowled	lge. I undertake to produce	the tickets for the outward journey within ten days of
	tickets v	of the advance. In the event within ten days of receipt of	of cancellation of journey or if I fail to produce the advance, I undertake to refund the entire advance in
	one lum	psum.	
Date:			Signature
٠			RUID NO.
			Mobile No.
		(For	use in Office)
1.			(To be verified by concerned ERB Branch)
2. 3.		entitled for reimbursement:	
3.	Advance	admissible (90% of amoun of Rs ma	t):v be sanctioned
			y oo ballouottett.
			US/SO of concerned ERB Section for S.No.1
Ų	S/SO of c	oncerned Cash Section for	S.No.2 & 3:
			•

<u>PAO</u>

PROFORMA for submitting AILTC claims (subsequent to performing journey)

(No	te :- Thi	is bill shou	ld be prepared PART - A	Ĩ.					her as of	fice copy)
1	Name	of Railway	Servant							
2	Design	ation								
3.	Emplo	yee Numb	er .				, , .			
4	Pay an	d Pay Leve	e1 ·							
5	Headq	uarters								
6	Nature	and period	l of leave sanct	ioned		• •				
7.	Declara	f submissic ation/Intim ned ERB :	ation and PPSO	C to		•	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8. S.No		ne(s)	nembers of fan	illy in re	espect of w		Age	Relationsl Governme	hip with	the
(i) (ii)										
(iii)			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						········	
(iv)		•	· ,,		:					
(v)			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>							
(vi)						,				
9.	Detai	ils of Jouri	ney(s) performe	ed by Ra	ulway Serv	ant	and the	e member of	f his/her	family.
	Departure Arrival		WHEELERS			of travel	No.	Fare Paid		
Date Time		From	Date and Time	To	in Km	S		ass of modation	of Fares	Rs./Ps
1.		2.	3.	4.	5.		6.		7.	8.

10. Ar	nount of Advance,	if any drawn	*		
--------	-------------------	--------------	---	--	--

11. Particulars of Journey(s) for which higher class of accommodation than the one to which the Railway Servant is entitled was used.

	Place	Mode of	Class to	Class to which	No.	Fare Paid
From	То	Conveyance	which entitled	actually travelled	of Fares	
1	2	3	4.	5	6	7
						,
			,			11
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
a						

Date		

Encl: Original copy of all Bills to be submitted along with all tickets/air tickets and boarding passes in original duly stamped by the Airport Authorities. Photocopy of advance intimation is also to be submitted to concerned ERB Unit.

Signature of Railway Servant

RUID No.

Mobile No

Self Certification (Part B)

	1	Designation				
	RUID No	Employee No.	Certify that:			
1.	Information as giver my knowledge and b	n in Part 'A' relating to my AILTC clain elief.	n is true to the best o			
2,	I have not availed of a the airline.	any benefit other than air travel as a part of	the package offered by			
3,	employed in Governm	fe is not employed in Government / The tent Service and the concession has not been the family members for the family members for years.	n availed of by him/he			
4.	Certified that my wif	e/husband for whom L.T.C. is claimed b	by me is employed in			
	Public Sector Underta	king/Corporation/Autonomous body etc.)	(Name of the			
5.	any Public Sector U	e/husband for whom L.T.C. is claimed by Indertaking/Corporation/Autonomous body Government or a Local Body which provider families.	v financed wholly or			
6.	is in respect to	AILTC claim for the Leave Travel Corne/my wife with the journey performed by mychildren none of whom traveled with t	children. This claim wife/myself with			
7.	I have not submitted as myself or my family me	ny other claim so far for Leave Travel Co embers in r/o the block year	ncession in respect of			
Date: Place:						
		Signature of R	ailway Servant			
		Name:				
•		Designation:				
		Mobile No. :				

Part - C (to be filled by concerned Cash Section)

1. The net entitlement on account of leave travel concession works out to	Rs.	·
(a) Railway/Air/Bus/Steamer fare	Rs.	
(b) Less amount of advance drawn vide	Rs.	
Voucher No dated		
Net Amount	Rs.	
2. The expenditure is debitable to		
Initials of Dealing hands	Signat	ure of SO/Cash-I/П/Ш
	Count	ersigned – US/Cash
	Signat Dir/G	ure of Controlling Officer - A
from concerned ERB Section. As regards entry in Se same be taken care of at the time of final clearing of Part – D (to be Given by Concerned ERB	LTC clair	М.
1. Certified that Shri/Smt/Miss has rendered continuthe date of commencing the outward journey &		
2. That necessary entries have been made Shri /Smt /Miss	e in	the Service Book of
to attest entries in th	Signa e Service	ture of the Officer authorized Book – PAO/SO-ERB-I/II/V
For use in Pay and Accounts		
oucher No Dated		
ay Rs Rupees		
ideDated		••••
		Signature of the PAO

REGISTER OF AILTC CLAIMS

(To be maintained by Concerned Cash Branch)

(To be Computerised and maintained in IPAS)

	-			·			No	Z [-3
	(2)		•		Bill	Advance/Final	Date of	Dim No. &	מון און
	(3)	Servant	of Railway	and RUID	Number	, Employee	Designation		
(7)				- :			Year	Block Place	
	3					≓	윴	Place	
(9)	6				6. Telephone 1	claimed	whom	For	
	ì				THE CLANE	claimed nat claim	Advance/Fi	Amount of Bill No. & Date	
(8)					- Aujusutient		Date of	Bill No. &	
(9)						Towns.	3	2	
(10)					the bill	Amir. OI	Vant Ot Van	Of Gross	
(11)						Amt		ZIQ+	
(12)			,,,,		•		Remarks		

NOTES:-

- 1. Entries for advance bill should be made in red ink.
- 2. In case of final claim where no advance has been drawn, columns (1) to (7) only need to be filled up.
- 3. In case of adjustment bills, columns (9) to (12) against the S.No. of the advance bill should be filled up while passing the net claim.
- 4. If net amount of the adjustment bill is for a minus amount, particulars of recovery of the balance should be indicated in column (12).

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

2018 का कार्यालय आदेश सं. 104

विषय: बोर्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत (एआईएलटीसी) सुविधा की ऐच्छिक योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.09.2018 के आदेश सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/3 के अनुसार सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के अनुरूप भारतीय रेल के कर्मचारियों को ऐच्छिक आधार पर एआईएलटीसी सुविधा दिए जाने के परिणामस्वरूप, बोर्ड कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी भी एआईएलटीसी प्राप्त करने के पात्र हैं।

- 2. एआईएलटीसी की सुविधा प्राप्त करने के लिए, बोर्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा शुरू करने की तारीख को चार अथवा अधिक वर्षों की निरंतर सेवा होनी चाहिए। एआईएलटीसी प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:
 - i) बोर्ड के दिनांक 10.09.2018 के पत्र में यथा अंतर्विष्ट निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, 'सामान्य' शाखा से सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाणपत्र (पीपीएससी) प्राप्त किया जाएगा। बहरहाल, पीपीएससी के लिए आवेदन करने से पूर्व पहली बार संबंधित कर्मचारी को एआईएलटीसी प्राप्त करने की उनकी अपनी पात्रता की जांच करनी चाहिए।
 - ii) किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन दिया जा सकता है और 'जी' शाखा द्वारा जारी पीपीएससी की मूल प्रतिलिपि के साथ एआईएलटीसी प्राप्त करने के इरादे से अनुलग्नक-। में संलगन प्रोफार्मा के अनुसार एक घोषणा/अग्रिम सूचना पत्र संबंधित स्थापना शाखा (ईआरबी-I, ईआरबी-II और ईआरबी-V) को प्रस्तुत किया जाए।
 - iii) यदि एआईएलटीसी अग्रिम की आवश्यकता हो, तो स्व-घोषित/अग्रिम सूचना-पत्र प्रस्तुत करने के अलावा, संबंधित ईआरबी शाखा (ईआरबी-I, II और V) को अनुलग्नक-II पर संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार एक अलग अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। एआईएलटीसी अग्रिम बाह्य यात्रा की प्रस्तावित तारीख

से 65 दिन पहले (हवाई यात्रा के मामले में) या 125 दिन (रेल यात्रा के मामले में) पहले आवेदन करना होगा और यात्रा आरंभ होने की तारीख पर ध्यान दिए बिना अग्रिम निकासी से दस दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारी को टिकट प्रस्तुत करना होगा।

- iv) अनुमानित किराए का 90% तक एलटीसी अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा।
- v) यदि कर्मचारी संबंधित ईआरबी शाखा को बिना सूचना दिए और मूल पीपीएससी प्रस्तुत किए बिना यात्रा पूरी करता है तो एआईएलटीसी के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- vi) एआईएलटीसी से संबंधित यात्रा पूरी करने के बाद अंतिम निपटान के लिए प्रतिपूर्ति/व्यय के अंतर (अग्रिम के मामले में) के आवश्यक दावे को सभी आवश्यक अपेक्षित कागजातों के साथ अनुलग्नक-III पर संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सीधे संबंधित रोकड़-I/II/III शाखा को प्रस्तुत करें।
- vii) यदि कोई अग्रिम नहीं लिया गया हो, तो एलटीसी का दावा अनुलग्नक-III के अनुसार वापसी यात्रा पूरी होने के तीन माह के भीतर अथवा यदि अग्रिम लिया गया हो, तो वापसी यात्रा पूरी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।
- viii) यात्रा पूरी करने के बाद, एआईएलटीसी अग्रिम की अव्ययित राशि, यदि कोई हो, एक माह के भीतर और एकमुश्त वापस करनी चाहिए।
- ix) एलटीसी पर प्रीमियम गाडियों/प्रीमियम तत्काल गाडियों/सुविधा गाडियों में यात्रा करने की अनुमित है, परन्तु, उस गाड़ी में यात्रा सबसे छोटे मार्ग से होनी चाहिए। एलटीसी के लिए तत्काल प्रभारों या प्रीमियम तत्काल प्रभारों की प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य होगी। राजधानी/शताब्दी/दूरांतो गाडियों में लागू लचीला किराया (परिवर्तनशील किराया) एलटीसी पर इन गाडियों द्वारा की गई यात्रा के लिए भी लागू होगा।
- x) हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एलटीसी-80 या उससे कम किराए पर ही एयर इण्डिया द्वारा यात्रा करें। एलटीसी-80 में दर्शाए गए किराए प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा है; परन्तु, जहां तक संभव हो, सबसे सस्ते किराए पर हवाई टिकट बुक करने का प्रयास करना चाहिए।

- xi) वे कर्मचारी (अर्थात् सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 से 8 तक) जो हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार नहीं हैं, वे किसी भी एयर लाइन से यात्रा कर सकते हैं; परन्तु, ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उनकी रेलगाड़ी/परिवहन की पात्र श्रेणी के किराए या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में अर्थात् जहां कोई सरकारी सेवक, जो हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार नहीं हैं और वह राजधानी/शताब्दी/दूरांतो गाडियों के पात्र श्रेणी की प्रतिपूर्ति का दावा करते है तो राजधानी/शताब्दी/दूरांतो गाडियों के संबंध में परिवर्तनशील किराया घटक स्वीकार्य नहीं होगा।
- xii) सभी मामलों में, एलटीसी यात्रा करते समय सीधे एयरलाइनों के माध्यम से (बुकिंग काउन्टरों, एयरलाइन्स के वेबसाइट) या अधिकृत ट्रैवल एजेंटों जैसे; मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कम्पनी, मैसर्स अशोक ट्रैवल्स एण्ड ट्रअर्स और आईआरसीटीसी (जिस सीमा तक आईआरसीटीसी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.12.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार अधिकृत है) की सेवा का उपयोग करके हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करना अपेक्षित है। अन्य एजेंसियों के माध्यमों से टिकट बुक करने की अनुमित नहीं है और किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से टिकट बुक करने के नियमों में छूट देने के किसी भी अनुरोध पर बोर्ड कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- xiii) यह भी नोट किया जाए कि भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), राज्य पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) और आईआरसीटीसी द्वारा किए गए ट्अर के मामलों को छोड़कर, ट्अर पैकेज पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यदि आईटीडीसी/एसटीडीसी/आईआरसीटीसी किराया घटक को अलग से दर्शाता है और यह सत्यापित करता है कि सरकारी सेवक जिस अखिल भारतीय अवकाश यात्रा रियायत का दावा कर रहा है वह यात्रा वास्तव में सरकारी सेवक और उसके परिवार द्वारा की गई थी, तो ऐसे मामलों में केवल किराया घटक की प्रतिपूर्ति होगी।
- xiv) यात्रा पूरी करने के बाद दावा प्रस्तुत करते समय हवाई अड्डे के प्राधिकारियों द्वारा (हवाई यात्रा के मामले में) विधिवत् रूप से मोहर लगे हुए बोर्डिंग पासों के साथ-साथ खरीदी गई सभी टिकटों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना चाहिए।
- xv) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं काश्मीर और अण्डमान एवं निकोबार के लिए एलटीसी पर हवाई यात्रा करने से संबंधित विशेष रियायत (उनके लिए, जो एआईएलटीसी के अंतर्गत हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं) के संबंध में, कार्मिक

एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.09.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/3/2018-स्था.(क-IV) का अवलोकन करें।

- 3. सामान्य शाखा, ईआरबी-I, II, V, रोकड़-I, II और III अनुभागों और वेतन एवं लेखा अधिकारी/कार्यालय/रेलवे बोर्ड की भूमिका निम्नानुसार होगी:-
 - क) सामान्य शाखा, स्थापना (कल्याण) के उपर्युक्त पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार, आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर एआईएलटीसी के लिए सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाणपत्र (पीपीएससी) जारी करेगा।
 - ख) अनुलग्नक-I, II और III के अनुसार ऐच्छिक एआईएलटीसी के लिए अनुरोध प्राप्त होने के बाद, संबंधित स्थापना शाखाएं (ईआरबी-I, ईआरबी-II और ईआरबी-V) मौजूदा नीतिगत अनुदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारी की एआईएलटीसी की स्वीकार्यता की जांच करने के बाद उसमें आवश्यक कॉलमों को सत्यापित/प्रमाणित करेंगी और यदि एलटीसी अग्रिम की मांग होने पर उसे रोकड़ अनुभाग को अग्रेषित करेंगी।
 - ग) संबंधित कर्मचारी को इसकी पावती दी जाए और कर्मचारी के अवलोकनार्थ दिशा-निर्देशों की भी एक प्रति दी जाए तािक यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित कर्मचारी ऐच्छिक एआईएलटीसी का लाभ लेते समय अनुपालन किए जाने वाले मौजूदा नियमों से पूर्णतः अवगत है और एलआईएलटीसी दावा स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यदि संबंधित कर्मचारी के लिए एआईएलटीसी स्वीकार्य नहीं हो तो इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर कर्मचारी को लिखित में उसकी जानकारी दी जाए। संबंधित रोकड़ अनुभाग को भी सूचना और रिकॉर्ड के लिए एक प्रति भेजी जाए।
 - घ) संबंधित रोकड़ अनुभाग इस मामले को सह वित्त को भेजे बिना ही यात्रा भतता/महंगाई भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता (सीसीए) दावा की सामान्य प्रतिपूर्ति की भाँति बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी एआईएलटीसी के मौजूदा नियमों के अनुसार एलटीसी अग्रिम और प्रतिपूर्ति/दावे की प्रक्रिया आरंभ करेगा। बहरहाल, मौजूदा नियमों से संबंधित किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर नोडल शाखा से संपर्क किया जा सकता है। एआईएलटीसी अग्रिम/दावे के निपटान के संबंध में संबंधित रोकड़ अनुभाग संबंधित कर्मचारी की एआईएलटीसी में यात्रा की पात्रता, रेलगाड़ी द्वारा सबसे छोटे मार्ग के किराए के आधार पर और हवाई टिकट के संबंध में एलटीसी-80 के अंतर्गत उपलब्ध किराए के अनुसार राशि स्वीकृत करेगा।

- ड.) एलटीसी का निपटान करने के बाद, संबंधित रोकड़ अनुभाग एलटीसी दावे के रजिस्टर के रखरखाव के लिए सीसीएस(एलटीसी)नियम के अनुसार ऐसे दावों के लिए अलग से ब्यौरा रखेगा। इसका प्रोफॉर्मा अनुलग्नक-IV पर है।
- च) ईआरबी-II, V और पीएओ अनुभाग, एलटीसी का दावा करने वाले संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी प्रविष्टि करेंगे और इस संबंध में चार अथवा इससे अधिक वर्ष की सेवा पूरी होने की वचनबद्धता देंगे।
- छ) ईआरबी-I, II, V, रोकइ-I, II, III और पीएओ अनुभाग एआईएलटीसी से संबंधित अनुरोध की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व स्था.(कल्याण) एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एआईएलटीसी/एलटीसी से संबंधित जारी अनुदेशों का अवलोकन करें।
- 4. सभी संबंधित कृपया नोट करें कि एआईएलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध संगत नियमों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाएगी। रोकड़ अनुभाग अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकट पर दर्शाए गए लागत की तुलना में हवाई यात्रा की वास्तविक लागत के संबंध में संबंधित एयरलाइंस से हवाई टिकटों की कभी-कभी जांच कराए।
- 5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: अनुलग्नक-l से IV

सं. 2018/ओ एण्ड एम/2/15 दिनांक: 26/09/2018 ्र्य भहात्राण) (एच. महाराणा) संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय और मेट्रो भवन, प्रगति मैदान के सभी अधिकारी एवं शाखाएं। संयुक्त सचिव(सा.) डीई/डब्ल्यू, निदेशक/सामान्य प्रशासन, निदेशक/प्रशासन, ईआरबी-1, II, V, रोकड़-1, II, III और पीएओ/रेलवे बोर्ड

<u>एआईएलटीसी की सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक रेल कर्मचारियों द्वारा</u> स्व-प्रमाणन/घोषणा के लिए प्रोफॉर्मा

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी	(रेल र	नेवक का	नाम)	यह पुष्टि	करना
चाहता/चाहती हूं कि मैं के					
(वह स्थान जहां जाना है) के लिए ब्लॉक व	र्ष के लिए	स्वयं/परि	वार के	सदस्य(सदस्	यों) हेतु
एआईएलटीसी(भारत में किसी स्थान पर) सुविधा का उप	ायोग कर रा	हा/रही हूं.	यह उल्लेख	ब्र किया जात	ा है कि
मैं या मेरे परिवार का सदस्य, जिसके लिए मैं एआई	एलटीसी सु	विधा प्राप्त	न करना	चाहता/चाहर्त	। हूं, ने
वर्तमान ब्लॉक वर्ष के दौरान एआईएलटीसी सुविधा का उ	उपयोग नहीं	किया है.			.,
2. परिवार के सदस्य, जो मुझ पर आश्रित	हैं, जिनके	लिए अ	खिल भा	रतीय छुट्टी	ा यात्रा
रियायत(एआईएलटीसी) का दावा किया जा रहा है, का ब्ल	यौरा निम्ना	नुसार है:			

क्रम	नाम	आयु	सरकारी सेवक के साथ
सं.		_	संबंध
i			
ii			
iii			
iv			

- 3. मैं पीआईए द्वारा दिनांक____ को मुझे जारी किए गए पीपीएससी की मूल प्रति संलग्न कर रहा/रही हूं.
- 3.1 मेरे छुट्टी संबंधी आवेदन की प्रति भी संलग्न है.
- 4. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य सही हैं और किसी गलत कथन से सीसीएस(एलटीसी)नियम,1988 के नियम 16 तथा रेल सेवक के लिए यथा प्रयोज्य संगत अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है.

रेल सेवक के हस्ताक्षर नामः पदनाम/शाखाः आरयूआईडी सं तथा कर्मचारी सं. मोबाइल सं.

अनुभाग अधिकारी/शाखा अधिकारी/इंचार्ज के तारीख के साथ हस्ताक्षर

<u>ईआरबी-1/11/V</u>

*टिप्पणीः रेल कर्मचारी एआईएलटीसी की सुविधा का उपयोग करते समय, जिस स्थान पर वह गए हुए हैं, वहां के मनोरंजक अनुभवों और चित्रों, यदि कोई हों, को उचित मंच पर सांझा कर सकते हैं.

		अग्रिम प्रदान करने के लिए आवेदन ईआरबी शाखा में प्रस्तुत किया जाना	
		4	
1.	रेल सेवक का नामः		
2.	पदनामः		•
3.	कर्मचारी संख्याः	_	
4.	रेल सेवा/रेलवे बोर्ड में कार्यभार ग्रह	ण करने की तारीखः	
5.	वर्तमान वेतन तथा वेतन लेवलः		
6.	क्या स्थायी हैं या अस्थायीः		
7.	क्या पीपीएससी की मूल प्रति सूचन	ा के साथ प्रस्तुत की गई है.:	.10
8.	क्या पति/पत्नी कार्यरत हैं और यदि	हां, तो क्या एलटीसी के लिए हकदा	र है:
9.	क) सुविधा "भारत में कहीं भी जाने"	" की है, वह स्थान जहां जाना हैः	
	ख) ब्लॉक जिसके लिए यह सुविधा	ली जानी हैः	
10	लघुतम मार्ग द्वारा मुख्यालय से जा	ने के स्थान तक एकल रेल किराया/	बस किराया/हवाई
	किराया(आने तथा जाने दोनों के लि	ोए):	
11.	वे व्यक्ति जिनके लिए एआईएलटीसी	ो सुविधा का उपयोग किए जाने का	प्रस्ताव हैः
	क्रम सं.	नाम तथा आयु	संबंध
v	i)	-	
	ii)		
	iii)		

क्रम सं.	नाम तथा आयु	संबंध
i)	·	
ii)		
iii)		

रु की अग्रिम राशि अपेक्षित है. 12.

मैं घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी जानकारी के अनुसार सही है. मैं अग्रिम की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर जावक यात्रा का टिकट प्रस्तुत करने का वचन देता हूं. यात्रा रद्द होने की स्थिति में अथवा यदि मैं अग्रिम की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत करने में विफल रहता हूं, तो मैं पूरी अग्रिम राशि को एकमुश्त वापस करने का वचन देता/देती हूं.

तारीखः

हस्ताक्षर आरयुआईडी सं. मोबाइल सं.

(कार्यालय उपयोग हेतु)

- कॉलम 1 से 7 तक में दिया गया ब्यौरा सत्यापित कर लिया गया है (संबंधित ईआरबी शाखा द्वारा सत्यापित किया जाना है)
- प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य राशिः 2.

स्वीकार्य अग्रिम (राशि का 90%): ्र का अग्रिम स्वीकृत किया जाए..

क्रम सं. 1 के लिए संबंधित ईआरबी शाखा के अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी

क्रम सं.२ तथा 3 के लिए संबंधित रोकड शाखा के अवर सचिव/अनुभाग अधिकारीः वेतन एवं लेखा कार्यालय

एआईएलटीसी दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफॉर्मा (यात्रा करने के बाद)

ब्लॉक वर्षसेतक के लिए एआईएलटीसी

(नोट:- यह बिल दो प्रतियों में तैयार किया जाए- एक प्रति भुगतान के लिए और दूसरी प्रति कार्यालय प्रति के रूप में.)

भाग-क (रेल सेवक द्वारा भरा जाना है)

_	
1	रेल सेवक का नामः
2	पदनामः
3	कर्मचारी संख्याः
4	वेतन तथा वेतन लेवलः
5	मुख्यालय
6	स्वीकृत छुट्टी की किस्म और अवधि
7	संबंधित ईआरबी शाखा को घोषणा/सूचना
	तथा पीपीएससी प्रस्तुत करने की तारीख

8. परिवार के उन सदस्यों का ब्यौरा जिनके लिए एआईएलटीसी का दावा किया गया है.

क्रम सं.	नाम ्	आयु	सरकारी सेवक के साथ संबंध
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			·
(v)			
(vi)			

9. रेल सेवक और उनके परिवार के सदस्य द्वारा की गई यात्रा/यात्राओं का ब्यौरा.

प्रस्थान		आगमन		द्री किमी में	यात्रा का साधन और उपयोग किए गए आवास की	किराया	भुगतान किया गया किराया
तारीख और समय	कहां से	तारीख और समय	कहां तक		श्रेणी		रु/पैसे
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		~		
10	अग्रिम राशि,	यदि कोई त	गे गई	हो:
	OH MALL ALL SIG	110 1110 (~	V

11. उस यात्रा(यात्राओं) का ब्यौरा, जिसके लिए रेल सेवक की पात्र श्रेणी से उच्च श्रेणी के आवास का उपयोग किया गया.

स्थान		परिवहन का		वह श्रेणी जिसमें	किराया	भुगतान
कहां से	कहां तक	साधन	जिसके लिए	वास्तव में यात्रा		किया गया
	•		पात्र हैं	की गयी		किराया
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नकः सभी बिलों की मूल प्रति, सभी टिकट/एयर टिकट और बोर्डिंग पास, मूल रूप में, जिन पर एयरपोर्ट प्राधिकारियों द्वारा विधिवत मुहर लगाई गई हो, के साथ प्रस्तुत की जानी है. अग्रिम सूचना की फोटोकॉपी भी संबंधित ईआरबी शाखा को प्रस्तुत की जानी है. रेल सेवक का नाम आरयूआईडी सं. मोबाइल नं.

स्व-प्रमाणन(भाग ख)

	में	पदनाम	आरयूआईडी सं	कर्मचारी
	सं	_यह प्रमाणित करताः	/करती हूं किः	
1.		_ •	भाग 'क' में दी गई सूचना मेरी	जानकारी और विश्वास के
2.	अनुसार बिल्कुल	४ सहा है. टाज भॉफर किए गए	पैकेज के भाग के रुप में हवा	ई यात्रा से इतर किसी अन्य
۷.		योग नहीं किया है.		
3.	यह कि मेरे प	 गति/मेरी पत्नी सरका	री नौकरी में नियोजित नहीं	हैं/यह कि मेरे पति/मेरी पत्नी
-	सरकारी सेवा व	में नियोजित हैं और .	वर्षों के संबंधित ब्लो	क के लिए उन्होंने स्वयं के लिए
	या परिवार के	किसी सदस्य के लिए	अलग से इस सुविधा का उपर	पोग नहीं किया है.
4.	प्रमाणित किया	जाता है कि मेरी पत	ग्री/मेरे पति जिनके लिए मेरे	द्वारा एलटीसी का दावा किया गया
	ž,	(सार्वज	निक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/२	वायत निकाय आदि का नाम) में
	नियोजित हैं, उ	नो छुट्टी यात्रा रियायत	त(एलटीसी) सुविधाएं प्रदान क	रते हैं, परंतु उसने अपने नियोजक
	से इसके लिए	न तो कोई पेशकश वी	ो है और न ही कोई पेशकश व	करेगी/करेगा.
5.	प्रमाणित किया	जाता है कि मेरी पत	त्री/मेरे पति जिनके लिए मेरे '	द्वारा एलटीसी का दावा किया गया
	है, वह केन्द्र स	ारकार या स्थानीय नि	काय द्वारा पूर्ण रूप से या आए	शिक रुप से वित्तपोषित किसी भी
	ऐसे सार्वजनिक	5 क्षेत्र के उपक्रम/नि ^व	गम/स्वायत्त निकाय म नियार — — — — — — — स्वाया	जेत नहीं हैं, जो अपने कर्मचारियों
	और उनके परि	वार के सदस्या के लि	ए छुट्टी यात्रा रियायत(एलटीर	ना के मंत्रंश में एतरीमी के लिए
6.	मैंब	च्चा क साथ मर द्वारा	/भरा पत्ना क द्वारा का गई था 	त्रा, के संबंध में एलटीसी के लिए
	एआइएलटासा	दावा पहल हा प्राप्त क	र युका/युका हू. यह दाया नर नंदर में के चिनमें में मे किमी	ा <u></u> बच्चों के साथ ने भी पूर्व के अवसर पर पार्टी
			भ्यं म ह, । । । । व रा । व रा	
-	के साथ यात्रा		में स्तरां या सेरे परिवार के र	नदस्यों के लिए एलटीसी के लिए
7.		पग्पपप अन्य दावा प्रस्तुत न		
	अमा तक कार्	. जन्य पापा प्रस्तुत र	ाहा विश्वा है.	
तिथिः				
स्थानः	•	•		

रेल सेवक के हस्ताक्षर

नामः

पदनामः

मोबाइल सं.:

भाग-ग(संबंधित रोकड़ शाखा द्वारा भरा जाना है)

1.कुट्टी यात्रा रियायत(एलटीसी) के लिए शुद्ध पात्रता की	रु		
गणना इस प्रकार की गई है.			
(क) रेलवे/हवाई/बस/स्टीमर किराया	रु		
(ख) दिनांक के वाउचर सं के तहत	रु		
आहरित अग्रिम की राशि घटाकर			
शुद्ध राशि	रु		
2.यह व्ययमें डेबिट किया जाना है			
कार्रवाई करने वाले के आद्यक्षर	अनुभाग अधिकारी/रोकड़-।/॥/॥ के		
	हस्ताक्षर		
	प्रतिहस्ताक्षर- अवर सचिव/रोकड़		
	नियंत्रक प्राधिकारी-निदेशक/सा.प्र. के		
	हस्ताक्षर		
नोटः वेतन एवं लेखा कार्यालय को अंतिम बिल भेजने से पह	ले संबंधित ईआरबी शाखा से भाग(घ) में		
निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए. जहां तक राजपत्रित अ	धिकारियों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि का		
संबंध है, एलटीसी दावा की अंतिम क्लियरिंग के समय इसका ध्य	ान रखा जाए.		
<u>भाग-घ(संबंधित ईआरबी अनुभाग/वेतन एवं लेखा कार्याल</u>	<u>य/रलव बांड द्वारा दिया जाना ह)</u>		
1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ने उ	गावक यात्रा शरु करने की तारीख को चार		
या अधिक वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर ली है तथा	3		
The second secon			
2. श्री/श्रीमती/सुश्री की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्र	विष्टियां कर ली गई हैं.		
सेवा पुस्तिका में	प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित करने के लिए		
प्राधिकृत अधिकारी के	हस्ताक्षर-वेतन एवं लेखा अधिकारी/अनुभाग		
	अधिकारी-ईआरबी-।/॥/٧		
वेतन एवं लेखा कार्यालय के उप	योग हेतु		
दिनांक का वाउचर सं			
दिनांकके तहत			
रररुपए का भुगतान किया			
	वेतन एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर		

एआईएलटीसी दावा संबंधी रजिस्टर (इसका रख-रखाव संबंधित रोकड़ शाखा द्वारा किया जाना है) (आईपीएएस में कंप्यूटरीकृत किया और रखा जाना है)

(1)				<u></u> 拍.	. अ
(2)		,	बिल की तारीख	अग्रिम/ अंतिम	बिल सं. तथा
(3)	आरयूआईडी सं.	और *	कर्मचारी सं.	नाम,पदनाम,	रेल सेवक का
(4)				वर्ष	ह्लाक क
(5)			स्थान	원	ाजमृक्ष
(6)		गया	किया	लिए दावा	किसके
(7)				दावा की राशि	अग्रिम/ अंतिम
(8)		की तारीख	समायोजन	तथा	बिल सं.
(9)			तारीख	प्राप्ति क्षी	दोवा
(10)			राशि	सकल	बिल की
(11)		•		राशि	शृद्ध
(12)				•	अभ्यक्तियां

टिप्पणियां:

1. अग्रिम बिल की प्रविष्टियां लालस्याही से की जानी चाहिए.

4.यदि समायोजन बिल की शुद्ध राशि ऋणात्मक राशि के लिए हैं, तो शेष राशि की वसूली का ब्यौरा कॉलम (12) में दर्शाया जाना चाहिए. 3.समायोजन बिलों के मामले में, शुद्ध दावा पास करते समय अग्रिम बिल के क्रम सं. के सामने कॉलम सं. (9) से (12) तक भरे जाने चाहिए. 2.अंतिम दावा की स्थिति में, जहां कोई अग्रिम नहीं लिया गया, कॉलम (1)से (7) तक भरे जाने की आवश्यकता है